memorandum has been received from the State Government of West Bengal. The Planning Commission, however, had detailed discussions with State Government about their proposed Plan for 1966-67. There has been no cut in the Central Assistance provided for West Bengal. The figure finally decided upon remains the same as indicated to the State earlier.

In case the Government of West Bengal want to have the next year's Plan larger than the one indicated by the Planning Commission, the State Government will have to find the additional resources needed on their own. The Chief Minister of West Bengal wrote to the Deputy Chairman, Planning Commission on 31st December, 1965 requesting for an additional Central Assistance of Rs. 10 crores for 1966-67 Annual Plan. The resources available for Central Assistance to States in 1966-67 having already been fully allotted to different States, it was not found possible to comply with the request of the Chief Minister.

मेडिकल कालेजों में स्थानों का रक्षण

393. **श्री लहटन चौधरी :**
श्री कपूर सिंह :
श्री प० ह० भील :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री रामपुरे :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार मेडिकल कालेजों में जाति और साम्प्रदाय के आधार पर स्थानों के रक्षण की प्रणाली को समाप्त करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये भारत भर में स्थान आरक्षित किये जाते हैं । इस प्रकार के आरक्षण को समाप्त करने का कोई विचार नहीं है । कुछ राज्यों में पिछड़े वर्गों तथा कुछ सामुदायों और प्रदेशों के लिये भी आरक्षण किया जाता है । भारत सरकार राज्य सरकारों को यह सलाह देती आ रही है कि वे मेडिकल कालेजों में दाखिला योग्यता के आधार पर ही करें ।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते ।

गाजीपुर अफीम कारखाना

394. **श्री सरजू पाण्डेय :** क्या वित्त मंत्री गाजीपुर अफीम कारखाने के लेबोरेटरी अटेन्डेन्टों से प्राप्त अभ्यावेदनों के बारे में 26 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 787 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस मामले में अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?